

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 सितम्बर 2016—भाद्र 12, शक 1938

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. एफ-2-83-छब्बीस-2-2013.—मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 2013 में निम्नलिखित सुधार करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 3 (3) प्रमस्तिष्क धात के स्थान पर “प्रमस्तिष्क घात” स्थापित किया जाता है.
- (2) नियम 4 (2) में प्ररूप—“क” के स्थान पर प्ररूप—“1” स्थापित किया जाता है.
- (3) नियम 9 में प्ररूप—“दो” के स्थान पर प्रारूप—“2” स्थापित किया जाता है.
- (4) नियम 9 (6) में प्रारूप—“तीन” के स्थान “प्ररूप—3” स्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.